

दिशा निर्देश :-

- (A) ग्रुप ख हेतु **Technical Bid** (लिफाफे) में क्रमबद्ध आवश्यक वांछित अभिलेख निम्न प्रकार है :-
- (i) निविदा प्रपत्र का मूल्य का रसीद।
 - (ii) **EMD** की राशि।
 - (iii) **GST** विभाग द्वारा निर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं वित्तीय वर्ष 2025 के अंतिम त्रिमाही का **GST Return** की अभिप्रमाणित प्रति।
 - (iv) विगत तीन वर्षों का **ITR** की अभिप्रमाणित प्रति।
 - (v) व्यवसाय स्थल का सम्पुष्टि प्रमाण पत्र- वार्ड कमिश्नर/मुखिया/प्रमुख/पार्षद द्वारा निर्गत की अभिप्रमाणित प्रति।
 - (vi) वित्तीय 3 वर्ष पूर्व **Food Adulteration Act.** के तहत शपथ पत्र अभिप्रमाणित प्रति।
- (B) प्रत्येक निविदाकर्ता को तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग सीलबंद लिफाफे में डालकर समर्पित करनी होगी। लिफाफे पर यथानुसार **Technical Bid/Financial Bid** साफ-साफ लिखा होना अनिवार्य होगा। खुली **Technical Bid** अथवा **Financial Bid** होने की स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

झारखण्ड चिड़ियाघर प्राधिकरण

भगवान बिरसा जैविक उद्यान, चकला (ओरमाँझी), राँची

अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या : 02/2026-27 (महिष माँस)

द्वितीय चक्र

मांसाहारी वन्यप्राणियों के आहार हेतु महिषमांस की आपूर्ति के लिए निविदा शर्तें (यथा प्रासंगिक)

संविदा अवधि : दिनांक 01.04.2026 से 31.03.2027 तक

1. भगवान बिरसा जैविक उद्यान, चकला (ओरमाँझी), राँची में मांसाहारी वन्यप्राणियों के लिए आहार हेतु महिषमांस की आपूर्ति उपर दर्शाए गए अवधि में लेने हेतु विहित प्रपत्र में मुहरबंद निविदाएं सदस्य सचिव, झारखण्ड चिड़ियाघर प्राधिकरण, राँची के पदनाम से आमंत्रित की जाती है। आहार सामग्री के ग्रुप 'ख' एवं निविदा प्रपत्र का मूल्य का विवरण निम्नवत है : :

सामग्री

निविदा प्रपत्र का मूल्य

ग्रुप "ख" : महिषमाँस (हड्डी रहित एवं हड्डी सहित)।

10000.00

2. निविदा प्रपत्र (निविदा शर्तों सहित) सदस्य सचिव के चकला (ओरमाँझी) स्थित कार्यालय से कार्यालय अवधि के दौरान विहित मूल्य का भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। निविदादाता निर्दिष्ट तिथि/समय तक जैविक उद्यान स्थित मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक के कार्यालय में रखे गए निविदा पेटी में निविदा डालने के लिए स्वतंत्र होंगे। निविदादाता के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अलग आहार सामग्री ग्रुप 'ख' के लिए निविदा अलग-अलग मुहरबंद लिफाफा में डालें जिसके आवरण पर "वन्यप्राणियों के लिए आहार सामग्री की आपूर्ति हेतु निविदा"
3. निविदा प्रपत्र कार्यालय से क्रय करने की स्थिति में मनी रसीद मूल प्रति में निविदा के साथ देना होगा। वेबसाइट से डाउनलोड करने की स्थिति में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट जो सदस्य सचिव, झारखण्ड चिड़ियाघर प्राधिकरण, राँची को भुगतये हो, संलग्न करना होगा।
4. निर्धारित समय तक प्राप्त निविदाएं यथानिर्दिष्ट तिथि/समय पर भगवान बिरसा जैविक उद्यान के कार्यालय में खोली जाएंगी जिस दौरान निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उचित प्राधिकार-पत्र के साथ उपस्थित रह सकते हैं। यदि कोई निविदादाता अथवा उनका प्रतिनिधि निविदा खोलने के दौरान उपस्थित नहीं रहता है तो इसका प्रभाव निविदा प्रक्रिया पर नहीं पड़ेगा तथा निविदा मान्य होगा।
5. निविदादाता को अपनी निविदा के साथ सामग्री ग्रुप 'ख' के लिए सत्यंकार राशि (EMD) विहित रूप में संलग्न करना अनिवार्य है जो निम्नवत है :

ग्रुप "ख" – रू0 100000/—(एक लाख रुपये मात्र)

उपरोक्त सत्यंकार राशि राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट जो सदस्य सचिव, झारखण्ड चिड़ियाघर प्राधिकरण राँची के पक्ष में निर्गत तथा किसी राष्ट्रीय बैंक में भुगतये हो अथवा स्वयं के नाम का राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र जो सदस्य सचिव, झारखण्ड चिड़ियाघर प्राधिकरण, राँची के पदनाम को प्लेज्ड (pledged) हो, के रूप में होना अनिवार्य है।

लगातार.....

6. निविदादाता अपनी निविदा में सभी आहार सामग्री के लिए अलग-अलग एवं साफ-साफ शुद्ध दर (कर छोड़कर) अंकित करेंगे जो अंक एवं शब्द दोनों में होना अनिवार्य है। अंकित शुद्ध दर उद्यान के आहार गोदाम में सामग्री पहुँचा कर होगा जिसमें किसी प्रकार का कोई भी अतिरिक्त व्यय राशि शामिल नहीं होगा। नियमानुसार सामग्री पर जो कर देय होगा उसे निविदा प्रपत्र के विहित कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा और यदि किसी सामग्री पर कर देय नहीं हो तो "कर मुक्त" लिखना होगा।
7. निविदादाताओं को निविदा के साथ संबद्ध सामग्री की आपूर्ति करने हेतु **GST** विभाग द्वारा निर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं विगत वित्तीय वर्ष 2025 के अंतिम त्रिमाही का **GST return** की अभिप्रमाणित छायाप्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य है।
8. निविदादाता को निविदा के साथ विगत तीन वर्षों के **ITR** की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
9. आहार सामग्री **ग्रुप "ख"** के निविदादाता को महिषमाँस आपूर्ति करने हेतु उपायुक्त, राँची/राँची निगम अथवा जो भी सक्षम हों उनसे महिषमाँस निर्धारित स्थान पर काटने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनुमति पत्र, जिसमें महिषमाँस काटने की वैधता-अवधि का स्पष्ट उल्लेख हो, उसकी अभिप्रमाणित छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
10. निविदादाता को राज्य के किसी चिड़ियाघर में महिषमाँस आपूर्ति का यदि पूर्व का अनुभव हो, तो उसका प्रमाण संलग्न करना होगा।
11. निविदादाता को संबद्ध वार्ड कमिश्नर/मुखिया/पार्षद/प्रमुख द्वारा निर्गत अपने व्यवसाय-स्थल का सम्पुष्टि प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगा।
12. निविदादाता को **शपथ पत्र** समर्पित करना होगा कि निविदा की तिथि से 3 वित्तीय वर्ष पूर्व तक **Food Adulteration Act** के तहत दोषी पाए गए हैं अथवा नहीं।
13. प्रत्येक निविदाकर्ता को तकनीकी एवं वित्तीय निविदा **अलग-अलग** सीलबंद लिफाफे में डालकर समर्पित करनी होगी। लिफाफे पर यथाअनुसार **Technical Bid/Financial Bid** साफ-साफ लिखा होना अनिवार्य होगा। खुली **Technical Bid** अथवा **Financial Bid** होने की स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
14. सशर्त एवं त्रुटिपूर्ण निविदा अथवा बिना सत्यंकार राशि के समर्पित निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा तथा वैसे निविदा को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
15. निविदा प्रपत्र में निविदादाता अनिवार्य रूप से प्रमाणित करेंगे कि उन्होंने निविदा के सभी शर्तों को पढ़ा और समझा है तथा वे सभी शर्तों को स्वीकार करते हैं।
16. विभिन्न ग्रुपों से संबंधित सामग्री के आपूर्ति करने हेतु सफल आपूर्तिकर्ता/निविदादाता द्वारा अर्पित प्रथम न्यूनतम दर पर एक अथवा अन्य किस्म के सामग्री की आपूर्ति करना अनिवार्य होगा अन्यथा जमानत राशि राज्यसात कर ली जायेगी।
17. सफल निविदादाताओं को निविदा की स्वीकृति की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अनुमानित वार्षिक आपूर्ति की कुल राशि का 10% (दश प्रतिशत) जमानत राशि विहित रूप में जमा करते हुए निविदा पर हस्ताक्षर करना होगा। जमानत की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा सदस्य सचिव, कार्यकारणी समिति, झारखण्ड चिड़ियाघर प्राधिकरण, राँची के पक्ष में निर्गत बैंक गारंटी अथवा निविदादाता के नाम का राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र जो सदस्य सचिव, कार्यकारणी समिति, झारखण्ड चिड़ियाघर प्राधिकरण, राँची के पदनाम को प्लेज्ड (pledged) हो, के रूप में जमा करना होगा।

लगातार

(3)

17. सफल निविदादाताओं द्वारा जमा सत्यंकार राशि यदि विहित रूप में हो तो उसे उनके लिखित अनुरोध पर जमानत की राशि में समायोजित कर दिया जाएगा। शेष असफल निविदादाताओं की सत्यंकार राशि निविदाओं पर अन्तिम निर्णय के पश्चात वापस कर दी जाएगी।
18. सफल निविदादाता द्वारा निर्धारित समय के भीतर जमानत की राशि जमा करने एवं संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहने पर उनके द्वारा जमा की गई सत्यंकार राशि राज्यसात कर ली जाएगी एवं आपूर्ति आदेश L-2 को निर्गत कर दिया जायेगा। इस कारण जो भी अधिक राशि का खर्च सरकार को वहन करना पड़ेगा उसकी वसूली पहली निविदा में सफल निविदादाता से पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी एक्ट (Public Demand Recovery Act) के अन्तर्गत सर्टिफिकेट प्रक्रिया (Certificate Procedure) द्वारा की जाएगी।
19. आपूर्ति किए जाने वाले आहार सामग्री की आवश्यकता (वजन/मात्रा) में समय-समय पर परिवर्तन (घट-बढ़) हो सकता है जिसकी यथा आवश्यकता आपूर्ति सफल निविदादाता (आपूर्तिकर्ता) को करनी होगी।
20. सफल निविदादाता (आपूर्तिकर्ता) को उच्च कोटि के सामग्री की आपूर्ति करनी होगी तथा किसी भी हालत में खराब गुणवत्ता की सामग्री की आपूर्ति नहीं ली जाएगी।
21. आपूर्तिकर्ता द्वारा खराब गुणवत्ता की सामग्री की आपूर्ति करते पाए जाने पर सदस्य सचिव को यह अधिकार होगा कि वे आपूर्तिकर्ता पर यथोचित अर्थदण्ड लगाएँ जिसके संबंध में आपूर्तिकर्ता का किसी प्रकार का अनुरोध मान्य नहीं होगा।
22. संबद्ध आपूर्तिकर्ता द्वारा संविदा की निर्धारित अवधि तक यदि सामग्री की आपूर्ति नहीं की जाती है तो वैसी परिस्थिति में सदस्य सचिव को पूर्ण अधिकार होगा कि वे आपूर्तिकर्ता की जमानत राशि को राज्यसात कर लें जिस पर आपूर्तिकर्ता का किसी प्रकार का दावा अथवा अनुरोध मान्य नहीं होगा।
23. निविदादाता को अपना पत्राचार का पूरा पता साफ-साफ निविदा प्रपत्र पर अंकित करना अनिवार्य है तथा उस पता पर किया गया पत्राचार निविदादाता को सभी प्रयोजनार्थ मान्य होगा।
24. **निविदादाता द्वारा website से download किये गये निविदा प्रपत्र की कीमत मनी रसीद के रूप में निविदा के साथ देनी होगी, अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगा।**
25. यदि आपूर्तिकर्ता सामग्री की आपूर्ति निर्धारित समय पर एवं आवश्यक मात्रा में नहीं करता है अथवा खराब गुणवत्ता के सामग्री की आपूर्ति करता है तो वैसी हालत में उन सामग्री का क्रय आवश्यक मात्रा में विभागीय रूप से खुले बाजार से कर ली जाएगी तथा बाजार से क्रय करने में अनुमोदित दर से जो भी अधिक राशि खर्च होगी उसकी वसूली परिवहन खर्च के साथ आपूर्तिकर्ता के विपत्र से कर ली जाएगी।
26. निर्धारित समय तक आहार आपूर्ति नहीं कर पाने पर संवेदक को **Rs. 100/घंटा** सिर्फ संबंधित राशन को देर से आपूर्ति करने के लिए एवं यदि यह 3 घंटा से ज्यादा विलंब होने पर **Rs. 500/घंटा** दण्ड स्वरूप भुगतान करना होगा।
27. आपूर्तित सामग्री की गुणवत्ता एवं मात्रा के संबंध में यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो उस पर निर्णय त्रि-सदस्यीय समिति द्वारा किया जायेगा जिसके अध्यक्ष वरियतम वन क्षेत्र पदाधिकारी तथा सदस्य वन क्षेत्र पदाधिकारी एवं उद्यान के पशु चिकित्सक रहेंगे। समिति द्वारा लिया गया निर्णय यदि आपूर्तिकर्ता को मान्य नहीं होगा तो वैसी हालत में अंतिम निर्णय सदस्य सचिव द्वारा किया जायेगा जो आपूर्तिकर्ता को मान्य होगा।
28. किसी भी हालत में स्वीकृत निविदा के दर में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

लगातार

(4)

29. आपूर्तिकर्ता को अपनी स्वीकृत निविदा अथवा इसका कोई भी अंश किसी दूसरे को देने को अधिकार नहीं होगा। आपूर्तिकर्ता यदि चाहे तो सामग्री की आपूर्ति के लिए मात्र एक एजेन्ट नियुक्त कर सकता है जिसकी स्वीकृति सदस्य सचिव से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
30. आपूर्तिकर्ता सामग्री की आपूर्ति आहार गोदाम पर करेंगे तथा उसकी प्राप्ति रसीद तीन प्रतियों में तैयार कर आहार गोदाम प्रभारी से हस्ताक्षर कराएँगे जिसकी एक प्रति आहार गोदाम प्रभारी के पास रहेगा, एक प्रति आपूर्तिकर्ता स्वयं रखेंगे तथा शेष तीन प्रतियों को आपूर्तिकर्ता अपने विपत्र के साथ संलग्न करेंगे।
31. आपूर्तिकर्ता प्रत्येक माह में आपूर्ति किये गये सामग्री का विपत्र अगले माह की पाँच तारीख तक आहार गोदाम प्रभारी को भुगतान हेतु समर्पित करेंगे। विपत्रों का भुगतान आवंटन उपलब्ध रहने पर ही किया जाएगा।
32. निविदा की ऐसी शर्तें जिनके उल्लंघन के लिए दंडात्मक/निवारक प्रावधान अंकित नहीं है, वैसी शर्तों का सफल निविदादाता (आपूर्तिकर्ता) द्वारा उल्लंघन किए जाने पर सदस्य सचिव को अधिकार होगा कि वे स्वविवेकानुसार दोषी आपूर्तिकर्ता पर यथोचित अर्थदंड लगाएँ अथवा जमानत की राशि राज्यसात करते हुए निविदा रद्द कर दें।
33. यदि आवश्यक हो तो निविदा में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति/प्रतिष्ठान के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सदस्य सचिव के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस पर कार्यावधि के दौरान सम्पर्क स्थापित कर निविदा के संबंध में विशेष जानकारी प्राप्त की जा सकती है अथवा शंका निवारण किया जा सकता है।
34. निविदा-प्रपत्र तथा निविदा की शर्तें प्राधिकरण के वेबसाइट www.birsazoojharkhand.in पर उपलब्ध है। यदि इससे डाउनलोड करके निविदा दिया जाता है, तब निविदा प्रपत्र का मूल्य बैंक ड्राफ्ट या पे-आर्डर, जो EMD के तरीके से बना/आहरित हो, निविदा के साथ दिया जाएगा।
35. सदस्य सचिव को यह अधिकार होगा कि वे बिना कारण बताये एक या सभी निविदा को अस्वीकृत कर दें।

ह0/—
सदस्य सचिव
झारखण्ड चिड़ियाघर प्राधिकरण